Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 30-08-2005

Participants : Athawale Shri Ramdas

>

Title : Need to amend Environment and Forest Conservation Act with a view to disburse surplus land to landless Scheduled Caste and poor people in the country.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में विशेाकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिनके पास रहने के लिए अथवा अपनी जीविका चलाने के लिए खेतीबाड़ी हेतु एक इंच भी भूमि नहीं है। लेकिन दूसरी ओर देश में लगभग आठ करोड़ एकड़ भूमि सरप्लस है। यदि इस भूमि को और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों में वितरित कर दिया जाये तो इससे न केवल सरप्लस भूमि का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि देश के गरीब भूमिहीन लोगों को अपना सिर छिपाने के लिए स्थान मिल सकेगा और साथ ही वे खेतीबाड़ी के जरिए अपना जीवन निर्वाह भी कर सकेंगे। इस प्रकार से गरीब भूमिहीन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिलेगी और साथ ही वे लोग राट्र की मुख्यधारा से भी जुड़कर देश के उत्थान हेतु अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश की सरप्लस भूमि को और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को देश के गरीब एवं दलित समुदाय के भूमिहीन लोगों में भूमि आबंटित किये जाने हेतु जरूरी कारगर कदम उठाये जाये।